UPMT010075342024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा
उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
दाण्डिक निगरानी संख्या–660/2024

गौरव गोयल पुत्र श्री गोपाल गोयल, निवासी– जी०आई०सी० इण्टरनेशनल प्रा. लि. (गोपाल–56), रजिस्ट्री आफिस, 1691/2, गोविन्दपुरी एक्सटेंशन, कालका जी, नई दिल्ली–110019
––– निगरानीकर्ता

प्रति

1– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मथुरा
2– पुलकित सुरेका पुत्र श्री कैलाश चन्द, निवासी– 18ए, गोविन्द नगर, थाना गोविन्द नगर, जिला मथुरा
––– प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1– यह दाण्डिक निगरानी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं० 7, मथुरा द्वारा परिवाद संख्या 119452/2023 पुलकित सुरेका बनाम गौरव गोयल, अन्तर्गत धारा 406,420 भा०द०सं०, थाना गोविन्दनगर, जिला मथुरा के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 20.05.2024 से विक्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

उक्त आक्षेपित आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/ अभियुक्त गौरव गोयल को धारा 406 भा०द०सं० के अपराध के विचारण हेतु आहूत किया है।

2– दाण्डिक निगरानी पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है।

3– दाण्डिक निगरानी पर बल देते हुए निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित तलबी आदेश दिनांकित 20.05.2024 मनमाने ढंग से पारित, विधि के नियमों के विरूद्ध, बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये गलत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही परिशीलन न कर परिवाद में निगरानीकर्ता को तलब करने का आदेश अविधिक है। परिवाद में परिवादी द्वारा निगरानीकर्ता की कम्पनी गोपाल–56, जो कि आईस्क्रीम, स्नैक्स, सेंडीस आदि का व्यवसाय करती है, की फ्रेंचाइजी लेने हेतु वृन्दावन–छटीकरा मार्ग पर किराये की दुकान दिलायी जाना बताया गया है तथा फ्रेंचाइजी की एवज में 4,72,000/– रूपये दिनांक 25.07.2023 को आर०टी०जी०एस० के माध्यम से इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा भारतीय तपोभूमि,मथुरा के माध्यम से निगरानीकर्ता के खाते में भेजना उल्लिखित किया है। परिवादी द्वारा धारा 200 द०प्र०सं० में बयान किया कि उसका व्यवसाय टैक्सटाइल कोविड–19 के कारण बन्द हो गया तथा वह बेरोजगार हो गया और किसी विमल सागर व एक मैडमजी द्वारा गोपाल–56 नाम से आइसक्रीम का काम दिलाने की बात कहकर ऋषिकेश बुलाकर काम दिखाया तथा मथुरा में आकर प्रेम मंदिर के सामने दुकान की जगह भी पसन्द कर ली व चालीस प्रतिशत का मुनाफा देने का वायदा किया फिर एक एग्रीमेन्ट साइन किया, जिसे खुद पढ़ना नहीं बताया व मथुरा

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.12 17:11:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आकर 4,72,000/– रूपये देना बताया, जिन्हें वापस नहीं किया व कहा गया कि नॉन रिफण्डेबिल एग्रीमेन्ट पर साइन करने के कारण पैसे वापस नहीं कर सकते। उक्त परिवाद में किये गये धारा 200 द०प्र०सं० के बयान व परिवाद को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है कि परिवादी व निगरानीकर्ता के मध्य एक करार उसकी फ्रेंचाइजी को लेकर हुआ है व करार की शर्तें पूरी तरह लिखित हैं, जिनकी तरफ विचारण न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया व परिवाद में निगरानीकर्ता को गलत तरीके से तलब करने के आदेश पारित कर दिये हैं। निगरानीकर्ता की गोपाल–56 ब्राण्डेड आईस्क्रीम, स्नैक्स आदि की कम्पनी है, जो भारत के कई राज्यों के शहरों में अपने उक्त ब्राण्ड नेम से प्रोडक्ट बेचती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एग्रीमेन्ट में लिखित शर्तों का बिना अवलोकन किये तथा एक ही पक्ष को सुनकर उक्त तलबी आदेश गलत प्रकार से पारित किया गया है। परिवादी द्वारा निगरानीकर्ता से सम्पर्क करते समय व एग्रीमेन्ट से पूर्व निगरानीकर्ता से व्हाटसएप चैट के माध्यम से काफी क्वैरी प्रश्नोत्तरी के तौर पर की गयी थी। एग्रीमेन्ट की शर्तों के अधीन निगरानीकर्ता की कम्पनी के विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही कम्पनी के हैड आफिस दिल्ली में ही की जा सकती है। परिवादी द्वारा कम्पनी में जमा कराये गये 4,72,000/– रूपये में से 72000/– रूपये जी०एस०टी० के तौर पर सरकार को जमा कराये गये हैं। परिवाद के कथन एवं परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० व साक्षियों के बयान 202 द०प्र०सं० आपस में मेल नहीं खाते हैं। परिवाद कथानक से ही स्पष्ट दृष्टव्य है कि उक्त समस्त घटनाक्रम सिविल प्रकृति का है, जिसे रंगत देकर विधिक सलाह से आपराधिक प्रकृति का बनाया गया है। उक्त आधारों पर निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.05.2024 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

4– प्रतिवाद में प्रत्यर्थी संख्या 01 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांकित 20.05.2024 को पूर्णतः न्यायोचित बताया गया है और यह निगरानी निरस्त किए जाने पर बल दिया गया है।

प्रत्यर्थी सं० 02 की ओर से प्रार्थनापत्र 23 क दाखिल कर मुख्यतः कथन किये गये हैं कि पक्षकारों के मध्य विवाद का समाधान कर लिया गया है। उक्त सुलह समझौता के अनुक्रम में परिवादी/विपक्षी सं० 2 द्वारा मु० 2,30,000/– रूपये की धनराशि अभियुक्त/निगरानीकर्ता से डिमाण्ड ड्राफट सं० 523036 दिनांकित 19.02.2026 के माध्यम से प्राप्त कर ली गयी है, जिसके पश्चात कोई धनराशि बकाया नहीं है। परिवादी प्रस्तुत मामले को आगे चलाना नहीं चाहता है। प्रार्थनापत्र के तथ्य शपथपत्र से समर्थित हैं।

5– विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी पुलकित सुरेका द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभियुक्त/ निगरानीकर्ता गौरव गोयल द्वारा गोपाल–56 ब्राण्ड आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एग्रीमेन्ट पर बिना बताये हस्ताक्षर कराकर उससे 4,72,000/– रूपये हड़प लिया जाना व मांगने पर वापस न करने का कथन करते हुए, अभियुक्त गौरव गोयल को अपराध के विचारण हेतु तलब करने की याचना की।

परिवादी ने अपने परिवाद कथानक के समर्थन में धारा–200 दं०प्र०सं० में स्वयं को तथा

UPMT010075342024

धारा 202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पी०डब्लू० 1 कृष्ण कुमार सुरेका को परीक्षित कराया।

विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवादपत्र के कथनों व परिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन उपरान्त निगरानीकर्ता/ अभियुक्त गौरव गोयल को धारा 406 भा०द०सं० के अपराध के विचारण हेतु आहूत किया। जिससे क्षुब्ध होकर यह प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

6– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत निगरानी के प्रत्यर्थी सं० 2 एवं परिवाद के परिवादी पुलकित सुरेका द्वारा प्रार्थनापत्र 23 क समर्थित शपथपत्र 24 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों के शुभचिन्तकों आदि के सहयोग से मामले के उभयपक्ष ने उनके मध्य के समस्त विवादों का सौहादपूर्ण तरीके से निपटारा कर लिया है। उक्त समझौते के अनुक्रम में परिवादी/विपक्षी सं० 2 द्वारा मु० 2,30,000/– रूपये की धनराशि अभियुक्त/निगरानीकर्ता से डिमाण्ड ड्राफट सं० 523036 दिनांकित 19.02.2026 के माध्यम से प्राप्त कर ली गयी है, जिसके पश्चात कोई धनराशि बकाया नहीं है। उक्त के प्रकाश में परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 119452/2023 को वापस लेने की अनुमति चाही है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पक्षकारों के द्वारा अपराध का शमन कर लिया गया है। प्रस्तुत अपराध धारा 320 द०प्र०सं० के अन्तर्गत शमनीय प्रकृति के अपराधों की श्रेणी में आता है। उपरोक्त के आधार पर निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अपराध का शमन किया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

उभयपक्ष के मध्य अपराध के शमन के आधार पर निगरानीकर्तागण द्वारा संस्थित यह दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अपराध का शमन किया जाता है। तद्नुसार विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांकित 20.05.2024 निरस्त किया जाता है।

दाण्डिक निगरानी की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मूल पत्रावली के साथ नियमानुसार संचित की जाये। आदेश की प्रति अनुपालनार्थ विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक– 12.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D. No. UP1910

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–12.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D. No. UP1910

सन्देश वर्मा,पी.एस.